कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 68/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 18.02.2026, जनपद – आजमगढ़

श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय एवं थाना नगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया तथा 'शौर्य सभागार' का उद्घाटन किया गया।

आज दिनांक 18.02.2026 को श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा जनपद आजमगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र एवं डॉ. अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

➤ पुलिस लाइन, आजमगढ़ में परेड की सलामी एवं निरीक्षण

सर्वप्रथम एडीजी महोदय द्वारा पुलिस लाइन, आजमगढ़ में भव्य परेड की सलामी ली गई। टोलीवार परेड का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया तथा निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया—

- जवानों का अनुशासन एवं टर्नआउट
- शस्त्र संचालन की दक्षता
- मार्च-पास्ट की एकरूपता एवं समन्वय
- कमांड एवं नियंत्रण प्रणाली
- प्रशिक्षण की गुणवत्ता

एडीजी महोदय द्वारा परेड की सराहना करते हुए बल को उच्च स्तरीय अनुशासन बनाए रखने एवं नियमित प्रशिक्षण पर विशेष बल देने के निर्देश दिए गए।

➤ "शौर्य सभागार" का उद्घाटन

परेड निरीक्षण के उपरांत पुलिस लाइन परिसर में नव-निर्मित **"शौर्य सभागार"** का विधिवत उद्घाटन किया गया। सभागार की प्रमुख विशेषताएँ—

- लगभग 700 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता
- आधुनिक ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था
- विभागीय गोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आधिकारिक बैठकों हेतु उपयुक्त
- पुलिस कर्मियों के सामूहिक संवाद एवं प्रेरणा हेतु समर्पित स्थल

एडीजी महोदय ने इसे पुलिस प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

➤ पुलिस लाइन की शाखाओं का विस्तृत निरीक्षण

एडीजी महोदय द्वारा पुलिस लाइन स्थित विभिन्न शाखाओं एवं व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया, जिनमें—

- निर्माणाधीन भवन
- आरटीसी बैरक
- पुलिस स्टोर
- मेस एवं सैलून
- जीडी कार्यालय

- गणना कार्यालय
- डायल-112 कार्यालय
- डीसीआर
- एमटी शाखा
- कम्प्यूटर लैब
- "नन्हे सितारे" कॉरिडोर, अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, अभिलेखों का रख-रखाव, शस्त्र एवं संसाधनों का संधारण, वाहनों की स्थिति तथा कार्यालयीन कार्यप्रणाली की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

➤ अपराध गोष्ठी का आयोजन

पुलिस लाइन निरीक्षण के उपरांत एडीजी महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई—

- लंबित विवेचनाओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
- महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही
- साइबर अपराधों की रोकथाम एवं तकनीकी सुदृढ़ता
- संगठित अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई
- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी
- कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता एवं जनविश्वास में वृद्धि

➤ जनसुनवाई कार्यक्रम

एडीजी महोदय, डीआईजी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनसुनवाई की गई।

- फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया।
- संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
- गुणवत्तापूर्ण समाधान को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

➤ पुलिस कार्यालय, आजमगढ़ का निरीक्षण

जनसुनवाई के पश्चात पुलिस कार्यालय, आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। निम्न शाखाओं का अवलोकन किया गया—

- पत्र व्यवहार शाखा
- आंकिक शाखा
- डीसीआरबी
- एलआईयू
- महिला प्रकोष्ठ
- जन शिकायत प्रकोष्ठ
- फील्ड यूनिट
- विशेष जांच प्रकोष्ठ

अभिलेखों के अद्यतन संधारण, डिजिटलीकरण की प्रगति एवं कार्यों की पारदर्शिता पर विशेष बल दिया गया।

➤ थाना नगर कोतवाली का निरीक्षण

तत्पश्चात थाना नगर कोतवाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान—

- थाना कार्यालय
- मालखाना
- बैरक
- मेस
- शौचालय
- मिशन शक्ति कार्यालय
- अभिलेख

का परीक्षण किया गया। मालखाने में जब्त माल की सुरक्षित प्रविष्टि, लंबित माल के निस्तारण तथा महिला संबंधी अपराधों में संवेदनशील व त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए।

➤ उपस्थित अधिकारीगण

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह, प्रशिक्षणाधीन एएसपी श्री प्रेमसुख दरिया, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

➤ समापन

निरीक्षण के समापन पर एडीजी महोदय द्वारा जनपद पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की मजबूती, पारदर्शी कार्यप्रणाली एवं जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 18.02.2026
थाना – मेंहनगर, जनपद – आजमगढ़

➤ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

महिला एवं बालिका सुरक्षा के दृष्टिगत चलाये जा रहे **"मिशन शक्ति 5.0"** अभियान के अंतर्गत थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपहरण एवं पाक्सो एक्ट के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

➤ पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.02.2026 को थाना मेंहनगर पर वादी द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 28.01.2026 को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया गया है। काफी खोजबीन के उपरांत भी उसका पता नहीं चल सका।

उक्त सूचना के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 64 बीएनएस तथा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➤ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 18.02.2026 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह हे0का0 धन्नंजय चौधरी क्षेत्र में रवाना होकर तलाश वांछित अभियुक्त/दबिश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त—
रोशन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गौरा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को अक्षैबर नहर पुलिया, थाना मेंहनगर क्षेत्र से समय लगभग 11:35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- नाम – रोशन पिता का नाम – राजकुमार निवासी – ग्राम गौरा, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

➤ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 38/2026 धारा 87, 137(2), 64 बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

➤ गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 आदिल खाँ, थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़
- हे0का0 धन्नंजय चौधरी, थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा महिला एवं बालिका सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत आगे भी इसी प्रकार प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट

थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़

➤ साइबर फ्रॉड के ₹9,999/- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए साइबर फ्रॉड की धनराशि वापस कराई गई।

➤ पूर्व की घटना का विवरण

आवेदक **अनूप सेठ पुत्र चंद्रेश सेठ**, निवासी रानीपुर राजमो, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के एसबीआई बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से ₹9,999/- की धोखाधड़ी कर ली गई थी।

घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर शिकायत संख्या **33108240106341** पंजीकृत कराई गई।

➤ रिफंड वापसी की कार्यवाही

थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम थाना गम्भीरपुर द्वारा प्राप्त शिकायत की तत्काल जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक के गूगल पे के माध्यम से ₹9,999/- की धोखाधड़ी की गई है।

तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए—

- संबंधित फ्रॉड खाते को चिन्हित किया गया।
- धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि ₹9,999/- फ्रॉडस्टर के खाते में फ्रीज कराई गई।
- नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर सम्पूर्ण धनराशि ₹9,999/- आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा गम्भीरपुर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

➤ साइबर टीम थाना गम्भीरपुर

- थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ।
- उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ।
- म0का0 सुषमा सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ।

थाना गम्भीरपुर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर **1930** पर सूचना दें अथवा नजदीकी थाने में संपर्क करें, जिससे समय रहते धनराशि फ्रीज कराकर वापस कराई जा सके।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 18.02.2026

थाना – कन्धरापुर, जनपद – आजमगढ़

➤ जीएसटी चोरी के अभियोग में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में कर अपवंचन एवं संगठित आर्थिक अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा जीएसटी चोरी से संबंधित अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

➤ पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 03.09.2025 को श्री अविनाश चन्द्र राय, सहायक आयुक्त (प्रभारी), राज्यकर सचल दल, आजमगढ़ द्वारा प्रातः 06:12 बजे एवं 07:21 बजे क्रमशः वाहन संख्या **UP14GT6325** एवं **P810HX4887** (माल – आयरन स्क्रैप, HSN 7204) को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट जनपद आजमगढ़ में जांच हेतु रोका गया।

जांच के दौरान पाया गया कि क्रेता/विक्रेता द्वारा अस्तित्वहीन/बोगस फर्मों के नाम पर कूटरचित इनवॉयस एवं ई-वे बिल जारी कर “Old Iron Teen Tapper Scrap” का परिवहन किया जा रहा था, जो कि जीएसटी अधिनियम-2017 की धारा-31 सहपठित नियम-46 एवं ई-वे बिल नियम 138 का उल्लंघन है तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

प्रकरण में निम्न फर्मों की संलिप्तता पाई गई—

- सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स, रायपुर, छत्तीसगढ़
- सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग, शिमला, हिमाचल प्रदेश
- श्री मुनि जी ट्रांसपोर्ट कंपनी, पटना, बिहार
- अन्य संगठित फ्रॉडस्टर समूह

उक्त संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 285/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई, जिसकी विवेचना व0उ0नि0 रमेश कुमार द्वारा की जा रही थी।

➤ गिरफ्तारी का विवरण

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन, सीडीआर विश्लेषण एवं तकनीकी जांच में दो अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई। दिनांक 18.02.2026 को समय लगभग 12:10 बजे अभियुक्त—

1. **विजय कुमार यादव** पुत्र बहादुर यादव, निवासी ग्राम तकिया गोपालपुर, थाना नवीन मॉडर्न, जनपद श्रावस्ती (उम्र लगभग 55 वर्ष)
2. **अविराज शर्मा** पुत्र विमलेश शर्मा, निवासी बी-152C प्रगति बिहार, चौधरी चट्टी के पास, कल्याणपुर विकास नगर, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ कमिश्नरेट (उम्र लगभग 21 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान पाया गया कि अविराज ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर फर्म का पंजीयन कराया गया। जीएसटी विभागीय जांच में उक्त फर्म कूटरचित पाई गई, जबकि उसके नाम पर माल की खरीद दर्शाई गई, जिससे राजस्व की हानि हुई।

सीडीआर विश्लेषण से अभियुक्त विजय कुमार यादव द्वारा घटना के समय अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से निरंतर संपर्क में होना पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध कारित किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए।

अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➤ बरामदगी

- 01 अदद लैपटॉप
- 01 पारदर्शी डिब्बे में 04 अदद मोबाइल फोन
- आधार कार्ड एवं पैन कार्ड

➤ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 285/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ (विवेचना में अन्य धाराओं की वृद्धि की गई)

➤ आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 285/25 धारा 318(4) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

➤ गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 रमेश कुमार, थाना कन्धरापुर
2. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर थाना आजमगढ़
3. का0 विकास कुमार, साइबर थाना आजमगढ़
4. का0 अमित कुमार जायसवाल, थाना कन्धरापुर

जनपद पुलिस द्वारा संगठित आर्थिक अपराधों एवं कर अपवंचन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.02.2026, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा **लूट के आरोप में दोषी करार देते हुए 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें लूट के आरोप मे अभियुक्त को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 14.12.2015 को वादी मुकदमा सूर्यभान यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी देवारा हरखूपुर (कौवापुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर के द्वारा मेरे ट्रक पर लदा 20 टन अरहर की दाल कीमत 27 लाख 50 हजार जो छत्तीसगढ़ से गोरखपुर के लिये जा रहा था कि रास्ते मे ठेकमा बाजार, थाना गम्भीरपुर के पास ट्रक रोक कर ड्राईबर को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जेब से 12 हजार रु व ट्रक सहित सारा माल लूट ले जाना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 242/2015 धारा-392,411,328 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 05 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.02.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 20.12.2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त राम आसरे यादव पुत्र राम निरंजन यादव निवासी मानीखुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.4 किलो गांजा बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0-333/2023 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ कुल 5 गवाह परीक्षित हुए।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त राम आसरे यादव पुत्र राम निरंजन यादव निवासी मानीखुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**